(68)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2549–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–7–2016 पारित द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार परगना चॉचौड़ा जिला गुना, प्रकरण कमांक 32/अ–6/2015–16

.....

1–ममता बाई बेवा पत्नि पप्पू सैन
निवासी ग्राम मुहॉसाकला तहसील चाचौडा,
जिला गुना
2–मुकेश पुत्र श्री ब्रहानंद सैन
निवासी ग्राम मुहॉसाकला तहसील चाचौडा,
जिला गुना

..... आवेदकगण

विरूद्ध

राजूबाई पत्नि सागर सिंह लोधा
निवासी ग्राम मुहॉसाकला तहसील चाचौडा,
जिला गुना

..... अनावेदिका

.....

श्री सुनीलसिंह जादौन, अभिभाषक–आवेदकगण

श्री एल0एस0धाकड़, अभिभाषक–अनावेदिका

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 15/2/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय नायब तहसीलदार परगना चॉचौड़ा जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–7–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष ग्राम मुहॉसाकला स्थित भूमि सर्वे कमांक 182/2 के नामान्तरण के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 32/अ–6/15–16 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 151के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 22–7–16 को अंतरिम आदेश पारित कर उक्त आवेदन पत्र का निराकरण अंतिम आदेश में किया जाना आदेशित किया गया । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण की आपत्ति का निराकरण अंतिम आदेश में किया जाना उचित नहीं है, क्योंकि सर्वप्रथम आपत्ति का निराकरण किया जाना चाहिये तत्पश्चात् गुणदोष पर आदेश पारित किया जाना उचित प्रकिया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील लंबित है इसलिये व्यवहार न्यायालय का आदेश अंतिम नहीं हुआ है ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका के पक्ष में व्यवहार न्यायालय का आदेश है एवं जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील में किसी प्रकार का कोई स्थगन नहीं है अतः तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र का निराकरण अंतिम आदेश में करने का अंतरिम आदेश देने में पूर्णतः न्यायिक कार्यवाही की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदकगण की ओर से कार्यवाही स्थगित करने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे निरस्त करने में तहसील न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है, क्योंकि तहसील न्यायालय के समक्ष प्रचलित कार्यवाही के स्थगित करने संबंधी वरिष्ठ न्यायालय अथवा व्यवहार

न्यायालय से कोई स्थगन नहीं है, अतः तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश मे हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार परगना चॉचौड़ा जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–7–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर